E-ISSN: 2706-8927
P-ISSN: 2706-8919
www.allstudyjournal.com
IJAAS 2020; 2(3): 244-246
Received: 11-08-2021
Accepted: 14-09-2021

प्रियंका कुमारी
शोधार्थी, गृह विज्ञान विभाग, जे.पी. विश्वविद्यालय, छपरा, बिहार, भारत

डॉ. मंजू कुमारी सिन्हा
एसोसिएट प्रोफेसर, विश्वएविद्यालय गृह विज्ञान विभाग, जे.पी. महाविद्यालय, छपरा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
प्रियंका कुमारी
शोधार्थी, गृह विज्ञान विभाग, जे.पी. विश्वविद्यालय, छपरा, बिहार, भारत

स्वतन्त्रता के पूर्व एवं पश्चात बालिका शिक्षा

प्रियंका कुमारी, डॉ. मंजू कुमारी सिन्हा

सारांश
आज सामान्य नारी की स्थिति क्या है? यह जानने के लिए प्राचीन काल के पन्ने पलटना अनुचित न होगा। परिवर्तन शीलता के नैसर्गिक नियम के कारण भारतवर्ष में स्त्री की समाजिक अवस्था सदा एक सी नही रही । प्रारम्भ में नारी को समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था। मनुस्मृति में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है – "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'। वेदकाल में सावित्री अनुसुइया तथा गार्गी आदि नारियाँ सुशिक्षित सुशील व उच्चकोटि की विदुषी थीं कई नारी रत्नों ने वेदमन्त्रो की रचना की। नारी को समाज में नर के समान महत्व प्राप्त था। वह नर की अर्धागिनी थी। कोई भी सामाजिक अनुष्ठान नारी के बिना पूर्ण नही हो पाता था। महाभारत काल तक आते-आते नारी की गरिमा कुछ कम होने लगी, नारी जो पूर्वकाल में नर की सहचारी थी अब मात्र सम्पत्ति बनकर रह गयी अन्यथा पाण्डव द्युतकीडा में द्रोपदी को दांव पर क्यो लगाते? नारी पृथ्वी के समान समझी जाने लगी और नारी के लिए अनेक भीषण युद्ध हुए ।

कूट शब्द: बालिका शिक्षा, नारी की स्थिति, परिवर्तन शीलता के नैसर्गिक नियम

प्रस्तावना
वैदिक काल में स्त्रियो को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार था वैदिक काल में नारी शिक्षा अपने चरम उत्कर्ष पर थी। नारियों को पुरूषो के समान स्वतन्त्रता प्राप्त थी। ब्रहम्चर्य व्रत से सम्पन्न शिक्षित कन्या को ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त था ऋग्वेद के आधार पर घोषा, गार्गी, आत्रेयी, शकुन्तला, उर्वशी, आपाला आदि उस समय की विदुषी महिलाएं थी। वेदों का अध्ययन करने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी और वे पुरूषो के साथ यज्ञ में भाग लेती थी. किन्तु उनके लिए पृथक विद्यालयों की व्यवस्था नही थी हाँ सहशिक्षा का प्रचलन अवश्य था, शकुन्तला ने कण्व के आश्रम में और आमेयी ने वाल्मीक के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। वस्तुतः उस युग में परिवार ही बालिकाओं की शिक्षा का केन्द्र था। जहां उनको अपने पिता, पति या कुल गुरू से शिक्षा प्राप्त होती थी। बालिकाओं को धर्म और साहित्य के अतरिक्त नृत्य संगीत काव्य, रचना, वाद विवाद आदि की शिक्षा दी जाती थी वैदिक काल के अन्तिम चरण के लगभग 200 ईसा पूर्व से बालिकाओ की विवाह की आयु को कम करके उनकी शिक्षा प्राप्ति के मार्ग में अवरोध उपस्थिति कर दिया गया परन्तु महात्मा गाँधी ने संघ में बालिकाओ को प्रवेश की आज्ञा देकर उनकी शिक्षा को नवजीवन प्रदान किया किन्तु वह आज्ञा कुलीन व व्यवसायिक वर्गों की बालिकाओं को ही दी गयी। इससे बहुसंख्यक सामान्य बालिकाएं शिक्षा से वंचित रही।

वौद्धकाल में नारी को पुनः कुछ गौरव मिला पर वह अपनी प्रतिष्ठा हासिल न कर सकी। मध्यकाल तक आते आते स्त्रियों की दशा बद से बदतर होती गयीं। किसी हद तक हमारा पौराणिक साहित्य भी नारी की इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है। कही नारी को शूद्रकहा गया और कही - कही नारंकस्य द्वारम् कहा जाने लगा और कहीं-कहीं तो नारी जो कल तक नर की सहचरि सखा, अर्धागिनी थी वह अब अधम से अधूम कही जाने लगी।

मुस्लिम काल में स्त्रियों की शिक्षा की कोई समुचित व्यवस्था नही थी मुस्लमानो में पर्दा प्रथा का प्रचलन होने के कारण अधिकांश बालिकाएं शिक्षा से वंचित रहती थी स्त्री शिक्षा की जो व्यवस्था थी वह केवल शाही घरानो और कुलीन वर्गों की कन्याओं तथा कुछ मध्यम वर्ग की मुसलमान बालिकाओं के लिए थी। जनसाधारण की बालिकाएं अपनी प्रारम्भिक अवस्था में मकतबो में बालको के साथ केवल थोडा सा अक्षर ज्ञान प्राप्त कर सकती थी इसके अतिरिक्त बालिका शिक्षा की व्यवस्था केवल नगरों में ही थी। तुर्क अफगान शासन काल में शहजादियों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दिये जाने का प्रबन्ध था सुल्तान इल्तुतमिस की पुत्री रजिया जो उसकी मृत्यु के उपरान्त सिंहासन पर आरूढ़ हुई, विदुषी महिला थी उसने अश्वारोहण तथा युद्ध कला की भी शिक्षा प्राप्त की थी मालवा के शासक महमूद खिलजी के पुत्र गयासुद्धीन खिल्जी ने सारंग पुर में एक मदरसा स्थापित किया था जिनमें स्त्रियों को कलाओ तथा शिल्पों की शिक्षा दी जाती थी।

मुगलो के आक्रमण के कारण स्थिति और भी बिगड़ी विदेशी आक्रान्ताओं की पाशविक प्रवृत्तियों के भय से स्त्रियों का पठन पाठन बन्द कर दिया। बाल-विवाह अनमेल विवाह सती प्रथा आदि की जंजीरों से बांधकर निरीह पशु बना दिया गया, नर और

नारी के कार्य क्षेत्र में विभाजन रेखा खींच दी गयी। यह माना जाने लगा कि नारी का कार्य क्षेत्र उसका घर है नारी विलास का साधन बनकर रह गयीं। देश के आर्थिक ढ़ांचे ने भी इस भावना के प्रसार में भी सहायता दी। पुरूष कमाता था स्त्री को उसकी कमाई पर आश्रित रहना पढ़ता था उसकी आत्मनिर्भरता की मानता लुप्त हो गयी। अब वह पुरूष की सहयोंगिनी न रह कर आश्रित हो गयी। "स्त्रिया चरित्रम चरित्रम पुरूषस्य भाग्य दैवो न जानाति कुतो मनुष्य" इस प्रकार की कुत्सित व घृणित भावनाओं का यह दौर बहुत लम्बे समय तक चला और कई शताब्दियों तक नारी को नारकीय जीवन भोगना पड़ा।

भारत वर्ष में अंग्रेजो के आगमन के साथ युग ने करवट बदली। अंग्रेज यहां के शासक थे। अग्रेजों ने अनेक प्रकार के कार्य किये, जो भारत वासियों के लिए नूतन थे। लोगो के विचारों में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए और रूढ़ियों को छोडने लगे स्त्री शिक्षा का श्री गणेशाय हुआ। स्वामी दयानन्द, राजाराम मोहन राय आदि समाज सुधारको ने सामाजिक कुरीतियों एवं अंध विश्वासो का खण्डन करने के उद्देश्य से ब्रह्म' समाज व आर्य समाज की स्थापना की। तथा समाज में नारी को सम्मान दिलाने की दिशा में सराहनीय योगदान दिया। नारी को नर की समकक्षता का अधिकार मिला।

स्वतन्त्रता पूर्व बालिका शिक्षा के सम्बन्ध में विभिन्न आयोगों एवं समितियों में सर्वप्रथम "वुड के घोषणा पत्र' में यह संस्तुति की गयी थी कि स्त्री शिक्षा के लिए उदारतापूर्वक सहायता अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जाय, आदेश पत्र में उन व्यक्तियों की सराहना की गई जिन्होने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए धन दिया था भारत में स्त्री शिक्षा के लिए सरकार से पूर्ण सहायता प्राप्त होनी चाहिए तथा इस शिक्षा तथा शिक्षा का प्रसार करने के लिए सरकार से पूर्ण सहायता प्राप्त होनी चाहिए, सभी सम्भव प्रयास किये जाने चाहिए। फलस्वरूप नवनिर्मित शिक्षा विभागो ने अनेक स्थानो पर बालिकाओ के लिए प्राथमिक शिक्षा की ओर समुचित प्रशिक्षा के व्यवस्था की सिफारिश की इस प्रकार कम्पनी द्वारा उपेक्षित स्त्री शिक्षा में प्रगति आरम्भ हुई।

1882 में स्त्रियों के लिए सभी प्रकार के विद्यालयो की संख्या 2,697 थी जिनमें 1,27,066 छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रही थी भारत की विशाल जनसंख्या को देखते हुए छात्राओं की यह संख्या प्रायः नगण्य थी इसके आधार भूत कारण निम्न थे।

1. हिन्दू और मुसलमान दोनो स्त्री शिक्षा को अनावश्यक समझते थें। उनके मतानुसार स्त्री का उचित स्थान घर में था अतः उसके लिए शिक्षा व्यर्थ थी।
2. भारत में बालविवाह की प्रथा प्रचलित थी कम आयु में विवाह हो जाने के कारण स्त्रियों की शिक्षा का प्रश्न ही नही उठता था।
3. मुस्लिम शासन काल में हिन्दुओं और मुसलमानों में पर्दा प्रथा प्रचलित हो गयी थी अतः एक निश्चित आयु के बाद बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर से बाहर भेजना असम्भव था।

जहाँ तक बालिकाओं की शिक्षा का प्रश्न है उसे कुछ सीमा तक सन्तोष जनक कहा जा सकता है। प्राथमिक स्कूलों में छात्राओं की संख्या सबसे अधिक थी। 1882 में 1,27066 शिक्षा प्राप्त करने वाली कुल बालिकाओं में से 1,24491 बालिकाएं प्राथमिक पाठशालाओं में पढ़ रही थी इस अधिक संख्या का एक मात्र कारण यह था कि भारतीय इस समय तक स्त्रियों के लिए प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव कर चुके थे परन्तु वे माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के पक्ष में नही थे।

इस काल की एक विशेषता यह थी कि स्त्रियां प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापिकाओं का कार्य करने के लिए शिक्षा ले रही थी 1882 में छात्राध्यापिकाओं की संख्या 515 थी प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की ओर सर्वप्रथम मिशनरियों ने ध्यान दिया। इनका निर्माण करने में मिशनरियों के दो ध्येय थे।

1. मिशन बालिका विद्यालयों के लिए अध्यापिकाओं को शिक्षित करना
2. धर्म परिवर्तित ईशाई स्त्रियों को अध्यापिकाएं बनाकर उनके जीवकोपर्जन की समस्या को हल करना।

मिशन प्रशिक्षण विद्यालय लोकप्रिय न बन सके। सम्भ्रान्त व्यक्ति अपनी लड़कियों को वहाँ नही भेजना चाहते थे क्योकि वहाँ बाइबिल को पढ़ना अनिवार्य था। मिशन प्रशिक्षण विद्यालयों के अतिरिक्त देश में भारतीयों या सरकार द्वारा संचालित एक भी विद्यालय नहीं था भारतीयों द्वारा इस दिशा में कार्य न किये जाने का कारण यह था कि भारतीय समाज में ऐसी सुशिक्षित महिलाओं का अभाव था जो प्रधान अध्यापिकाओं के रूप में कार्य कर सके। 1854के घोषणा पत्र में अध्यापिकाओं की दीक्षा के लिए आदेश दिये जाने पर भी सरकार ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया था।

बालिका शिक्षा के अपने कर्तव्य के प्रति सरकार को जागरूक करने का श्रेय एक सुविख्यात समाजसेविका मिस कारपेन्टर को प्राप्त है। 1866 से 1876 तक उसने चार बार भारत आकर यहाँ की जनता और सरकार की बालिका शिक्षा की नवीन परम्परा को प्रतिष्ठित करने की प्रेरणा दी। उसी के प्रयासों के फलस्वरूप भारत में नारी शिक्षा सम्बन्धी यह प्रतिमान स्थापित हुआ जो अनेक झोंके-झकोरे खाने के बाद भी आज तक अटूट बना हुआ है।

स्वतन्त्रता के पश्चात् बालिका शिक्षा

स्वतन्त्रता के पश्चात् स्त्री शिक्षा का जो विकास हुआ है वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद बालिका शिक्षा की ओर हमारा दृष्टिकोण ही बदल गया। स्त्रियों को पुरूषों के समान स्तर पर लाने के लिए आवश्यक सामाजिक आर्थिक और कानूनी परिवर्तन किये गये और एक नये युग का शुभारम्भ हुआ। भारत का संविधान पुरूष और नारी दोनो के लिए समान अधिकार देता है। कुछ विशेष विधान स्त्रियों के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्तर को ऊँचा उठाने हेतु है। स्वतन्त्र भारत की नारी की सामाजिक स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहा है। जिन बन्धनों में वह बँधी हुई थी वे शनै शने ढीले होते जा रहे है। जिस स्वतन्त्रता से उसे वंचित कर दिया गया था वह उसे पुनः प्राप्त हो रही है। उसके सम्बन्ध में पुरूषों का दृष्टिकोण बदल रहा है। भारतीय संविधान ने भी नारी को समकक्षता प्रदान करते हुए धोषित किया:- "राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म जाति लिंग जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नही करेगा।"

वर्ष 1951-1956 योजना काल में स्त्री शिक्षा के विकास हेतु सरकार द्वारा पारित कानूनों तथा वैवाहिक जीवन में मधुरता तथा समरसता बनाये रखने के लिए 1955 में बना "हिन्दू विवाह अधिनियम 1952" में बना विशेष विवाह अधिनियम जिसमें अर्न्तजातीय विवाह को वैद्य घोषित किया गया तथा वर व कन्या के विवाह की न्यूनतम आयु 21 व 18 वर्ष निश्चित की गयी। 1954 में जब यू0 जी0 सी0 विल संसद में पेश किया गया तो सी0 आर0 नरसिम, मिस जय श्री तथा श्री डी0 सी0 शर्मा ने महिलाओ को भी पुरूषो के समान ही शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। उन्होने कहा कि पुरूषों के समान स्त्रियों को भी विद्यालयो में प्रवेश, शिक्षको की भर्ती आदि समस्त पहलुओं पर समान रूप से नामित किया जाना चाहिए।'

योजना आयोग द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया इस योजना काल में महिला शिक्षको को शिक्षक प्रशिक्षण हेतु विशेष व्यवस्था की गयी क्योकि महिला शिक्षको के अभाव में शिक्षा का विकास ठीक प्रकार से नही हो पा रहा था। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रो में रहने वाली स्त्रियों के लिए मकान आदि की सुविधाएं दिये जाने पर विशेष ध्यान दिया गया। बालिकाओं को शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां एवं विभिन्न राज्यों में स्त्रियों को निम्नलिखित अनुदान प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी।

1. ग्रामीण क्षेत्रो में महिला शिक्षको के लिए निशुल्क आवासीय व्यवस्था।
2. स्कूलो में आया की नियुक्त हेतु।
3. शिक्षण प्रशिक्षण हेतु महिला शिक्षको को छात्रवृत्ति प्रदान करना। 4-रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था।

इस योजना काल में सरकार द्वारा पारित कानून हिन्दू माइनारिटी एण्ड गार्जियनशिप एक्ट (हिन्दू अल्पव्यस्कता तथा अभिभावकता अधिनियम) 1956 में बना। इस नियम ने स्त्री शिक्षा के विकास में सहयोग किया।

राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (1958) इसे दुर्गाबाई देशमुख समिति के नाम से जानते है महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी इसका मुख्य उद्देश्य स्त्री शिक्षा की

विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए सुझाव देना था। समिति ने 1949 में यह सुझाव प्रस्तुत किये।

1. कुछ वर्षों तक बालिका शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता तथा स्त्रियों के लिए अलग से प्रशासनिक व्यवस्था भी की जानी चाहिए।
2. ग्रामीण क्षेत्रो में स्त्रीशिक्षा के विकास हेतु सरलीकृत अनुदान प्रदान किये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
3. उपलब्ध धनराशि का उपयोग बालिकाओं के मिडिल तथा माध्यमिक स्तर के विद्यालयों, शिक्षक प्रशिक्षण स्कूलों, छात्रावास तथा महिला अध्यापिकाओ हेतु छात्रावास बनाये जाने के लिए अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।
4. राज्यों में बालिकाओं एवं स्त्री शिक्षा की राज्य परिषदों का निर्माण किया जाये।
5. बालक तथा बालिका शिक्षा के लिए विषमता को शीघ्र समाप्त किया जाये।

ढेवर समिति 1960-61

स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों और जनजातियो की शिक्षा की वास्तविक स्थिति व समस्याओं को जाना। तभी श्री यू० एन0 ढेवर की अध्यक्षता में सन् 1960-61 में ढेवर समिति का गठन किया गया। आयोग ने इनके समस्यात्मक कार्य-कलापो का अध्ययन कर हर प्रकार के साधनो तथा देश की विभिन्न संस्थाओं के द्वारा अथक परिश्रम कर यह पता लगाया कि अनुसूचित जाति की बालिकाओं की शिक्षा मे किन सुविधाओं की व्यवस्था नही हो पा रही है ढेवर समिति ने भारत की राज्य और केन्द्र सरकारों से आग्रह किया कि विशेष कार्यक्रम और निर्देशन में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगो में परिवर्तन लाने के लिए इनमें प्राथमिक शिक्षा का विकास किया जाये। इसके अलावा समिति ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये।

1. इनके क्षेत्रो में विशेष विद्यालय स्थापित किये जायें जिनमें ऐसे अध्यापक नियुक्त किये जायें जिन्हे पिछड़ी जातियों के जीवन तथा उनकी संस्कृति का अच्छा ज्ञान हो।
2. इन जातियों में निशुल्क शिक्षा मध्यान्ह भोजन पुस्तके वस्त्र एवं लेखन सामग्री आदि निशुल्क व्यवस्था के रूप मे दी जाये।
3. इन जातियों की शिक्षा व्यवस्था में हस्तलिपि का विशेष ध्यान दिया जाये।
4. इन विद्यालयों में शिक्षको को आवास आदि की विशेष सुविधा दी जाये।
5. प्राथमिक शिक्षा में आदिम जातियों की शिक्षा में उनकी भाषाओं का ही प्रयोग व विकास किया जाय एवं उनकी ही भाषाओं मे पुस्तकें तैयार की जायें।
6. इनकी भाषा और संस्कृति का पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाये।

आयोग ने अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं के लिए आवासीय आश्रम स्कूल बनाने का प्रस्ताव किया जो कि इनकी शिक्षा के लिये उपयोगी साबित हो सके तथा इनकी सामाजिक तथा सास्कृतिक शिक्षा को केन्द्रित करने के लिए सर्वे किया जाये। आयोग ने इन स्कूलो को पूरे प्रदेश मे लागू किये जाने का प्रस्ताव किया।

निष्कर्ष

भारत में महिलाओं की स्थिति ने पिछली कुछ सदियों में कई बड़े बदलावों का सामना किया है। प्राचीन काल में पुरुषों के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर मध्ययुगीन काल के निम्न स्तरीय जीवन और साथ ही कई सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा दिए जाने तक, भारत में महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील रहा है। आधुनिक भारत में महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोक सभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष की नेता आदि जैसे शीर्ष पदों पर आसीन हुई हैं।

नारी के सम्बन्ध में मनु का कथन "पितारक्षति कौमारे ..... न स्त्री स्वातंन्यम् अर्हति।" वहीं पर उनका कथन "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता", भी दृष्टव्य है वस्तुतः यह समस्या प्राचीनकाल से रही है। इसमें धर्म, संस्कृति साहित्य, परम्परा, रीतिरिवाज और शास्त्र को कारण माना गया है। भारतीय दृष्टि से इस पर विचार करने की की जरूरत है। पश्चिम की दृष्टि विचारणीय नहीं। भारतीय सन्दर्भों में समस्या के समाधान के लिए प्रयास हो तो अच्छे हुए हैं। भारतीय मनीषा समानाधिकार, समानता, प्रतियोगिता की बात नहीं करती वह सहयोगिता सहधर्मिती, सहचारिता की बात करती है। इसी से परस्पर सन्तुलन स्थापित हो सकता है।

संदर्भ

1. कान्सटीट्यूशनल एसेम्बली डिवेट्स खण्ड-7, 19 नवम्बर 1948
2. सेन, गुप्ता, पद्मिनी, "वोमेन एजूकेशन इन इण्डिया' शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली (1960)
3. सुखलाल, धनश्याम, "राष्ट्रीय शिक्षा नीती 1986 के सन्दर्भ में राजस्थान में शिक्षा" अंकुर प्रकाशन उदयपुर (1991)
4. राष्ट्रीय सहारा 17 दिसम्बर (1994) कानपुर संस्करण
5. दैनिक जागरण 13 नवम्बर (1999) कानपुर संस्करण
6. सैन, गुप्ता पदमिनी, "पायनियर वूमेन ऑफ इण्डिया" ठक्कर एण्ड को. लि., बम्बई